

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्या: 53(2)/18-मा.स./एनएससी

दिनांक 15 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों /
अधिकारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन ।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 21.04.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लोक उद्यम विभाग के कार्यालय आदेश संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XIII /2023 दिनांक 07.07.2023 के अनुसार दिनांक 01.07.2023 से औद्योगिक मंहगाई भत्ते में वर्तमान दर 37.7% से बढ़ा कर 39.2% कर दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XIII /2023 दिनांक 10.07.2023 के अनुसार 01.07.2023 से परिवर्तनीय औद्योगिक मंहगाई भत्ते का निर्णय लिया गया है चूंकि एन.एस.सी. में दिनांक 01.01.2017 से नये वेतनमान कार्यालय आदेश सं. 154 दिनांक 02.04.2018 से लागू हैं अतः औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों पर निम्नानुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता लागू होगा।

देय तिथि	संशोधित मंहगाई भत्ते की दर (प्रतिशत)
01.07.2023	39.2%

ऊपर संदर्भित, लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारियों जिनके वेतन 01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं के मामले में ये दरें लागू होंगी।

देय मंहगाई भत्ते के भाग के रूप में शामिल 50 पैसे और उससे अधिक को अगले पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।

ऊपर संदर्भित दर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XIII /2023 दिनांक 07.07.2023 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता की दरें उन कर्मचारियों / अधिकारियों जिनके वेतन दिनांक 01.01.2017 से संशोधित किए गए हैं, के मामले में लागू होंगी। वर्तमान दरों का भुगतान जुलाई माह 2023 से किया जाएगा।

(पूजा शर्मा)

सहायक प्रबन्धक (मा. सं.)

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी लिमिटेड।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
4. उप महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(क.भ.नि.), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
6. निदेशक (वित्त) / निदेशक (वाणिज्यिक), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
7. सूचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतु।
8. गार्ड फाइल ।